कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 1533 / तक / 2006 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2006

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

समस्त उप पंजीयक,

मध्यप्रदेश.

विषय :– नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत विस्थापित परिवारों द्वारा क्रय की की जाने वाली भूमि के दस्तावेजों के पंजीयन के संबंध में ।

———0———

अभी हाल में एक विधानसभा प्रश्न के उत्तर में जानकारी प्राप्त हुई है कि विक्रेता द्वारा अपने स्वामित्व से अधिक भूमि को विस्थापितों के नाम फर्जी तरीके से विक्रय कर दस्तावेजों का पंजीयन कराया गया है । इस कपटपूर्ण कार्य में विक्रेता एवं क्रेता दोनों की मिलीभगत होती है, क्योंकि ऐसे दस्तावेजों पर स्टाम्पशुल्क एवं पंजीयन फीस क्रेता को नहीं देना होती है, अपितु इस की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है । साथ ही क्रेता इस प्रकार कपटपूर्ण पंजीयन कराकर अपने मुआवजे की राशि त्मसमेंम करा लेता है ।

इस प्रकार कपटपूर्ण तरीके से दस्तावेजों का पंजीयन होने से जहां एक ओर विभाग की विश्वसनीयता खण्डित होती है, वहीं शासन को विस्थापितों के पुनर्वास के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पंजीयन के समय विस्थापितों के हक में निष्पादित होने वाले विक्रय–पत्रों का समुचित परीक्षण कर लें कि कहीं इनके द्वारा कपटपूर्ण संव्यवहार तो नहीं किया जा रहा है । इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि दस्तावेजों के पंजीयन के समय नियमानुसार प्रस्तुत होने वाली विक्रेता की भू–अधिकार एवं ऋण–पुस्तिका में प्रत्येक संव्यवहार की प्रविष्टि मय रकबे के आवश्यक रूप से करें । जब कोई व्यक्ति उसके स्वामित्व से अधिक भूमि का अंतरण किसी विस्थापित के हक में करता पाया जाये, जिसकी पुष्टि भू–अधिकार एवं ऋण–पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों से हो सकेगी, प्रकरण तत्काल जिले के कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के ध्यान में लाएं । कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

हस्ता / –
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.